न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-54/2016

मुन्नीदेवी पत्नी जगदीशप्रसाद जाति महाजन निवासीझुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

---अपीलान्ट---

---बनाम---

1-अनिलकुमार पुत्र हीरालाल जाति जाट निवासी रिजाणी तहसील व जिला झुन्झुनू ।

2-बनारसीदेवी पत्नी सोहनसिंह जाति जाट निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।

--वादीगण/रेस्पोडेन्टस्--

3-राजेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी श्यामपुरा उर्फ चारणवास तहसील व जिला झुन्झुनू ।

4- मोहनलाल पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी झुन्झुनू हवाई पटटी सर्किल के पास झुन्झुनू ।

5- मंन्जूदेवी पत्नी रामसिंह जाति कुम्हार निवासी रोड नं0-2 तहसील व जिला झुन्झुनू ।

6- इलियास अली पुत्र सगीर खां जाति मुस्लमान चौपदार निवासी व्यापारियों का मौहल्ला झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

7-मेवकंवर बेवा भादरसिंह जाति राजपूत निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।

8-दलीपसिंह पुत्र भादरसिंह जाति राजपूत निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।

9-लेखराम पुत्र मालाराम जाति कुमावत निवासी देरवाला तहसील व जिला झुन्झुनू।

10-बजरंगलाल पुत्र मालीराम जाति कुमावत निवासी हवाई पटटी झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

11-गुलाबसिंह पुत्र सुगनसिंह जाति राजपूत निवासी वारिसपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू ।

12-जीवनेसिंह पुत्र बैरीसालसिंह जाति राजपूत निवासी देरवाला तह0 व जिला झुंझुनू

13-कैण्ड होल्डर तहसीलदार झुन्झुनू तहसील व जिला झुन्झुनू ।

--रेस्पोडेन्टस्---

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 2-11-15 एवं 2-12-15
द्वारा उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू।
---0---

उपस्थिति-

1-श्री जिनेन्द्र वैष्णव एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री विजयपाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री सुभाष पूनिया एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 12.3.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट सं0-1 व 2 ने अदालत मातहत में दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि वाके कस्बा वारिसपुरा में आराजी ख0नं0 126 रकबा 1.13 हैक्टर, ख0नं0 130 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0नं0 131 रकबा 0.97 हैक्टर, ख0नं0 132 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 2.48 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 11 की खातेदारी की है। वादीनी संख्या-2 ने गुलाबसिंह प्रतिवादी सं0-10 से आराजी ख0न0 126,130,131,132 में से गुलाबसिंह की बकाया 0.32 हैक्टर में से 0.22 हैक्टर दिनांक 11-7-2006 को क्रय की ओर उक्त भूमि का कब्जा वास्तविक गत 28 वर्ष पूर्व ही कब्जा ले लिया। वादीनी संख्या-2 इस आराजी पर काबिज काश्तकार है। विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण सं0-88 तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद किया गया। इस प्रकार वादीनी सं0-2 उक्त भूमि 0.22 हैक्टर की काबिज खातेदार काश्तकार हो गई। उक्त आराजी में वादीनी उत्तर और पश्चिम की ओर भूमि ख0नं0 131 की 0.22 हैक्टर है इसके पश्चिम में मालाराम की भूमि दक्षिण में प्रतिवादीनी सं0-4 मन्जूदेवी कुमावत का प्लाट का डण्डा उत्तर में कालूराम रामेश्वर जाट की बसात की भूमि व मकान पूर्व में प्रतिवादी सं0-1 मुन्नीदेवी की भूमि लगती है। वादीनी की उक्त आराजी के उत्तर में 12 फुट चौड़ा रास्ता कदीमी से वादीनी का है जिसमें से वादीनी अपनी भूमि 0.22 हैक्टर

में आती जाती रही है । प्रतिवादीनी सं0-1 अपने नाजायज सहयोगियो की मदद से उक्त भूमि में अवैध रूप से उत्तर व पूर्व में गड्डे खोदकर अतिक्रमण कर रास्ता रोकने का प्रयास किया जिसका उसे कोई अधिकार नही। विवादित आराजी का कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ केवल अपनी सहुलियत से काश्त करते है।प्रतिवादीनी सं0-1 विवादित आराजी पर जबरन निर्माण करने व पेड काटने तथा बैचान करने पर आमादा है।अतः वादीगण का दावा स्वीकार कर वादी सं0-1 को उक्त भूमि में से उसके हक हिस्से की 0 40 हैक्टर वादीनी सं0-2 के हक हिस्से की 0 22 हैक्टर की खातेदार घोषित किया जावे तथा वादीनी के रास्ते को रास्ता घोषित किया जावे खाता विभाजन किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा प्राथमिक रूप से डिक्री कर विभाजन प्रस्ताव आने पर अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने बिना कानूनी प्रकिया अपनाये अपना आदेश पारित किया है । प्राथमिक निर्णय में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0- 2 से 10 बावजूद तामिल के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से न्यायालय के आदेश दिनांक क्रमशः 12-12-12, 7-8-2006, 31-8-2006 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी सं0-1 द्वारा दिनांक 19-5-2007 को जबाब नोटिस पेश किया व प्रतिवादी सं0-11 द्वारा आज दिनांक तक जबाब पेश नहीं करने पर जबाब देही बन्द की गई । जो की सरासर गलत है क्योंकि पत्रावली दिनांक 10-5-2012 को वास्ते पेश होने संशोधित वाद पत्र व तलबी प्रतिवादी सं0-2, 5, 9 व जबाब दावा प्रतिवादी सं0-11 व 12 हेतु लम्बित थी। जिसमें आगामी तारीखपेशी दिनांक 11-9-12 तक यथावत चलती रही दिनांक 11-9-2012 को वकील पक्षकारान उपस्थित वास्ते जबाब दावा संशोधित वाद पत्र व पेश करने तलबी अवसर चाहने पर आगामी पेशी दि0 15-10-2012 फरमाई गई ।इसमें यह गलत दर्ज किया है कि वकील पक्षकारान उपस्थित

जबकि अभिभाषक संघ झुन्झुनू ने अदालत मातहत का बहिष्कार कर रखा था।उनके उपस्थित होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पत्रावली में प्रतिवादीगण को तलबी भी नहीं हुई थी ।पत्रावली में दिनांक 9-10-15 को आगामी पेशी दिनांक 17-12-2015 दी गई थी। इसके बाद अदालत मातहत ने बिना किसी प्रकार का नोटिस दिये बिना सूचना दिये तारीख पेशी से पूर्व दिनांक 28-10-15 को ही पत्रावली को तारीख पेशी पर ली जाकर अपीलान्ट को बिना सुने ही पत्रावली में दिनांक 2-11-15 पेशी बहस एवं आदेश के लिये नियत कर दी तथा इसी दिनांक को प्राथमिक डिक्री अपीलान्ट को बिना सुने पारित कर दी तथा दिनांक 2-12-15 को अन्तिम डिक्री जारी की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया गया आदेश है ।अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावें ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर विद्वान अभिभाषकगण समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली की आदेशिकाओं का अवलोकन करने पर आया कि पत्रावली वास्ते जबाब संशोधित वाद पत्र हेतु चल रही है। जबाब संशोधित वाद पत्र व जबाब दावा प्रतिवादी सं0-11 व 12 का आया जाना किसी भी आदेशिका में दर्ज नहीं है ।इतना ही नहीं दिनांक 9-10-2015 को मोहर लगाकर तारीख पेशी दी जिसमें आगामी पेशी 17-12-2015 दी गई । इस तारीख पेशी से पूर्व ही वादी/रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली को दि0 28-10-15 को तारीख पेशी पर ली गई ।जिसकी कोई सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादी को नही दी गई ।इसके बाद दिनांक 2-11-2015 को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाऐ अपीलान्ट को बिना सुने प्राथमिक डिक्री जारी की तथा नियत तारीख पेशी से पूर्व से ही दिनांक 2-12-2015 को अन्तिम डिक्री जारी की गई। जबकि पत्रावली में नियत पेशी 17-12-2015 थी। इस तारीख पेशी से पूर्व ही दावा का निर्णय

किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है । प्रस्तुत वाद में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया तथा ना ही तामिल अथवा जबाब दावा की कार्यवाही पूरी किये बिना आदेश पारित किया है। जिसमें हम प्रकरण मे राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये बिना ही प्रकरण को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से अपील को स्वीकार कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में जबाब दावा लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये तारीख पेशी से पूर्व निर्णय किये जाने पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा वितान उप खण्ड अधिकारी झुन्झुनू का निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 2-11-2015 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 2-12-2015 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये साक्ष्य सबूत लेकर अपना आदेश पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 23-4-2018 को उपस्थित होवें ।निर्णय की एक प्रति अपील संख्या- 55/2016 में शामिल की जावे ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 12.3.2018 को सुनाया गया ।

12/3/18.

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर